न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 37/2024

जीसीएमएस : 2024/322

01. सरजीन्द्र सिंह पुत्र श्री जगरूप सिंह जाति जटसिख साकिन 14 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
02. राजदीप सिंह पुत्र श्री सरजिन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन 14 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला अनुपगढ़ राज.।

—:प्रार्थीगण

बनाम

1. मनदीपसिंह पुत्र श्री जसदेव सिंह
2. रविन्द्र सिंह पुत्र श्री वरदेव सिंह
3. करणवीर सिंह पुत्र बलजिन्द्र सिंह
4. राजदीप सिंह पुत्र सरजीन्द सिंह
5. नाजम सिंह पुत्र श्री वरदेवसिंह

} जाति जटसिख साकिन 14 एन.पी. तह. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

—:अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:– 09.10.2024

उपस्थित अधिवक्ता:–
1. श्री रणवीर सिंह बिश्नोई प्रार्थी अधि.।
2. श्री रविन्द्र बिश्नोई अधि. अप्रार्थी सं. 3।
3. श्री मनोज कुमार अधि. अप्रार्थी सं. 1–2–4–5।

दिनांक:– 29.08.2025

—निर्णय—

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरी वाके चक 14 एन.पी. के खाता संख्या 21 नया 14 पुराना के कुल रकबा 6.299 है. नहरी मय खाला के मु.नं. 49 पं.नं. 171/319 की कृषि भूमि में पहुच के लिए रास्ता की आवश्यकता है। चक 14 एनपी के खाता संख्या 75 के मु.नं. 4 पं.नं. 171/320 के कि.नं. 5 में पहुंच हेतु अन्य खातेदार/खातेदारों की जोत की विशिष्टियां जिन में से अपेक्षित रास्ता स्वीकृत करने/किसी विद्यमान मार्ग का विस्तार करने या चोड़ा करने का आशय रखते है। यह कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है, जो पूर्व में चक 14 एन.पी. के खाता सं. 14 पुराना में सांझी संयुक्त खाता में कृषि भूमि धारण करते थे, कालान्तर में खाता विभाजन के दौरान प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण आपसी सहमति से दिनांक 17.10.2023 को हम प्रार्थीगण द्वारा सं. 1 एवं 2 ने अप्रार्थी सं. 3 करणवीरसिंह को मु.नं. 47 के कि.नं. 21 में से आने–जाने के लिए तथा मु.नं. 49 में पहुंच के लिए 16 फुट चोड़ा रास्ता छोड़ा। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 3 करणवीरसिंह ने मु.नं. 49 के कि.नं. 1–2–[illegible] में 16 फुट रास्ता मय प्रार्थी को दिया [illegible] उसकी कृषि भूमि में तथा मु.नं. 4 में अप्रार्थी सं. 4 राजदीपसि[illegible] कि.नं. 2–3–4 में 16 फुट आने–जाने के लिए उसके [illegible] रास्ता मौका पर [illegible], तत्पश्चात आपसी रास्ता छोड़ा। उक्त समस्त [illegible] को इन्तकाल [illegible] के जरिये खाता सहमति से दिनांक 12.12.2023 [illegible] में उक्त रास्ता का विभाजन किया गया। अब अप्रार्थी सं. 3 [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.09.12 16:38:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

लेकर बदनियति आ गयी है तथा ऐलानिया रास्ता बंद करने को उतारू है, इसलिए अप्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के मध्य दिनांक 17.10.2023 के अनुसार दिये गये चालु रास्ता को स्वीकृत किया जाना उचित हैं। अनावेदगण व आवेदकगण की चक 14 एनपी में स्थित उक्त भूमियों में आवागमन व जोत के लिए अपने–अपने रकबा में पहुंचते है व उक्त अस्वीकृत रास्ता आगे के मुरब्बाजात के काश्तकार भी अपने–अपने रकबा में पहुंच के लिये उपयोग कर रहे है इस सरल, सुगम, नजदीक, सुविधाजनक रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, इस रास्ता को आवेदकगण स्वीकृत करवाना चाहते है इसलिये यह आवेदन पेश कर रहे है अतः आवेदन मय हलफनामा पेश कर निवेदन है कि अन्य कोई रास्ता का विकल्प न होने के कारण आवेदन आवेदकगण स्वीकार फरमाया जाकर आवेदकगण व अनावेदकगण को अपनी जोत में पहुंच के प्रयोजनार्थ प्रार्थी सं. 1 सरजिन्द्र सिंह के खेत में पहुंच के लिए चक 14 एनपी के पं.नं. 171/328, मु.नं. 47 के कि.नं. 21 में दक्षिणी पश्चिमी कोना पर 16 फुट तिरछा तथा प.नं. 171/329 मु.नं. 49 के कि.नं. 1–2–8–9 में तिरछा, भारतीय रेल लाईन की भूमि छोड़ कर 16 फुट रास्ता व प्रार्थी सं. 2 राजदीप सिंह के खेत में पहुंच हेतु चक 14 एनपी के प.नं. 171/320 मु.नं. 4 के कि.नं. 3–4–5 में 16 फुट रास्ता स्वीकृत फरमाने की कृपा करे तद्नुसार तहसीलदार रायसिंहनगर को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु आदेश पारित करे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिये रजि. नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 3 की तरफ से श्री रविन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रस्तावित रास्ता न तो कभी चालू रहा है ना ही आवागमन के लिए सुगम, सरल, सुविधा जनक, नजदीक व तकनीकी दृष्टि से स्वीकृति योग्य है, चूकिं आबादी 14 एन.पी. से सटते पक्की सड़क रायसिंहनगर–मोहननगर से गुजरती है जो आगे मुरब्बा नं. 50 से कुतरपाड़ छोटे माईनर के साथ–साथ पूर्व दिशा से गुजर रही है, जिस पक्की सड़क से मिन अनावेदक ने अपने मुरब्बा नं. 50 व 49 में पहुंच के लिये मुरब्बा नं. 50 के कि.नं. 4 व 7 के मध्य पुलिया स्वीकृत करवा अपने खर्चा पर निर्मित करवाते हुये आवागमन कर रहा है जिस पुलिया निर्माण में आवेदकगण ने कोई खर्चा वहन नहीं करने के बावजूद भी अपने मुरब्बा नं. 49 व 50 में आवागमन के लिये पुलिया से होकर नहर की पटरी से आवागमन कर रहे है। इसके अलावा राजस्व पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका मुआयना करते हुये प्रस्तावित रास्ता की बजाये आवेदकगण को मिन अनावेदक की तरह पक्की सड़क से सीधे अपने रकबा में पहुंच के लिय माईनर पर पुलिया स्वीकृत करवा लेने से किसी रास्ता की [illegible] जाते हुये अपनी रिपोर्ट मय नक्शा दी है जिसमें मिन [illegible] के पुलिया को नहीं दर्शाया है। आवेदकगण मु.नं. 50 [illegible] में पुलिया स्वीकृत करवाने से सीधे पक्की सड़क से अपने रक[illegible] बिना किसी बाधा के आसानी से पहुंच सकते है जिसके लिये प्रस्तावित रास्ता की कतई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार मुरब्बा [illegible]4 के कि.नं. 3–4–5 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.09.12 16:38:17 IST
Reason: SelfAttested

(3)

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

चाहा प्रस्तावित रास्ता भी तकनीकी दृष्टि से स्वीकृति योग्य नहीं है, इस संबंध में मौका के नक्शा व रिपोर्ट के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि मुरब्बा नं. 9 के कि.नं. 21–20–11–10–1 से आगे मुरब्बा नं. 4 के कि. नं 21–20–11 तक स्वीकृत है उससे आगे मुरब्बा नं. 4 मिन अनावेदक व अनावेदक नाजमसिंह व आवेदक सरजिन्द्रसिंह वगैरा को अपनी–अपनी भूमि में पहुंच के लिये कोई रास्ता स्वीकृत व चालू नहीं है। इस प्रकार मुरब्बा नं. 4 के कि.नं. 11 में स्वीकृत शुद्वा रास्ता को प्रस्तावित रास्ता तभी जुड़ेगा जब मिन अनावेदक के पीछे के किलाजात में रास्ता स्वीकृत हो अन्यथा आवागमन संभव नहीं है यहां यह उल्लेख करना भी न्यायोचित होगा कि मिन अनावेदक के अलावा अन्य पक्षकारान आवेदकगण व अनावेदकगण ने आपसी सांठ–गांठ व मिलीभगत व दुरर्भि संधि अन्तर्गत आवेदन पेश किया है और अनावेदक को नुकसान पहुंचाते हुये मुरब्बा नं. 50 नहरी रिकार्ड अनुसार 57 के कि.नं. 12–13–19–21 में करीबन 7 महीने पहले स्वीकृतशुद्वा सरकारी खाला ढहाकर खाला की जगह समतल कर फसल का बिजान कर मिन अनावेदक के रकबा की सिंचाई सुविधा को बाधित कर रखा है। समस्त वास्तविक स्थिति परिस्थिति व हालात से स्पष्ट है कि मिन अनावेदक को हेरान–परेशान करने व नुकसान पहुंचाने के आशय से आवेदकगण व शेष अनावेदकगण ने दुरर्भि संधि अन्तर्गत प्रस्तावित रास्तों की जरूरत न होने के बावजूद भी आवेदन पेश किया गया है। इसलिये आवेदन आवेदकगण प्रथम दृष्टि में ही काबिल निरस्ती के है। अतिरिक्त आपतियों में कथन किया है कि उक्त प्रकरण में समान पक्षकार व समान अनुतोष के लिये प्रकरण पूर्व में निस्तारित होने से यह प्रकरण कानूनन नहीं चल सकता। पत्रावली पर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट व नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता सरल, सुगम, सुविधाजनक व तकनीकी दृष्टि से आवश्यक नहीं होने से स्वीकृति योग्य नहीं होने से प्रार्थना–पत्र काबिल निरस्ती के है। आवेदकगण व शेष अनावेदगण सद्भावी नहीं है जिसे निरस्त कर विशेष हर्जाना मिन अनावेदक को दिलाया जाना न्यायोचित है। अतः जबाव आवेदन मय हल्फनामां पेश कर निवेदन है कि आवेदन आवेदकगण मय खर्चा खारिज फरमाया । इसी के साथ अप्रार्थी सं. 1–2–4–5 की तरफ से श्री मनोज कुमार अधि. ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता चक 14 एनपी के पं.नं. 171/328 मु.नं. 47 के कि.नं. 21 में दक्षिणी कोना पर 16 फुट तिरछा तथा पं.नं. 171/329 मु.नं. 49 के कि.नं. 1–2–9 में तिरछा रेलवे लाईन की भूमि को छोड़कर तथा चक 14 एनपी प.नं. 171/320 मु.नं. 4 के कि.नं. 3–4–5 में रास्ता जरिये हल्फनामा आपसी सहमति से लेखबद्व किया जाकर रास्ता चालु किया था। जिसमें अप्रार्थी संख्या 3 करणवीर सिंह भी पूर्ण सहमत था, उपरोक्त शपथ पत्र विधि स्टाम्प क्रय कर लिपीबद्व किया जाकर हस्ताक्षरित होकर [illegible] किया गया था उपरोक्त शपथ पत्र के आधार पर [illegible] सहमति से चालू रास्ता खोला था जो स्वीकृत [illegible]। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया तथा अप्रार्थी 2 राजदीप के खेत मे पहुंच हेतु रास्ता स्वीकृत कर दिया जावे तो हमे कोई ऐतराज नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.09.12 16:38:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

3. तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2024/2200 दिनांक 10.12.2024 की मौका रिपोर्ट से अवगत करवाया है कि प्रार्थीगण ने अपने रकबे में आवागमन हेतु चक 14 एनपी के मु.नं. 47 के कि.नं. 21 में दक्षिणी पश्चिमी कोणा पर 16 फुट तिरछा तथा मु.नं. 49 के कि.नं. 1–2–8–9 में तिरछा व मु.नं. 4 के कि.नं. 3–4–5 में 16 फुट रास्ता की मांग की है। अतः प्रार्थीगण को अपने रकबे मु.नं. 4 में आवागमन हेतु चक 14 एनपी के मु.नं. 4 के कि.नं. 11–20–21 में स्वीकृतशुद्वा रास्ता नहर की पटरी तक पत्थर लाईन पर चालू हैं उससे आगे नहर की पटरी पर रास्ता बना रखा हैं जो मु.नं. 4 के कि.नं. 4 के उत्तरी पश्चिमी कोने तक जाता हैं जो मौका पर चालू हैं व मु.नं. 4 के कि.नं. 4/3, 4/5, 5/4 में दो–दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है। प्रार्थीगण को चक 14 एनपी के मु.नं. 49 में आवागमन हेतु 47 के कि.नं. 10–11–20–21 में स्वीकृतशुद्वा रास्ता से मु.नं. 47 के कि. नं. 21 के दक्षिणी–पश्चिमी कोना में एक बिस्वा तथा मु.नं. 49 के कि.नं. 1–2–8–9 में रेल्वे लाईन कै पास–पास 2–2 बिस्वा रास्ता दिया जाना उचित है।

4. बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया कि प्रार्थी को अपने खेत में आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। अप्रार्थी सं. 3 के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र के जवाब में अंकित तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए प्रार्थीगण को रास्ता की आवश्यकता नहीं है खेत में आने के लिए अन्य विकल्प भी है परन्तु प्रार्थीगण अपनी सुविधा के लिए रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है इसलिए प्रार्थना पत्र मय हर्जाना खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या 1–2–4–5 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि दिनांक 17.10.2023 के शपथ पत्र के अनुसार प्रार्थीगण के खेत हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो हमें कोई एतराज नहीं है।

5. अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार/भू.अभि.निरीक्षक/पटवार हल्का की जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपने खेत में आने–जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट के तहत काश्तकार को रास्ता दिया जाने का प्रवधान है स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण से स्पष्ट है कि चक 14 एनपी के प.नं. 171/328 मु.नं. 47 के कि.नं. 21 में दक्षिणी–पश्चिमी कोना पर 16 फुट तिरछा तथा प.नं. 171/329 मु. नं. 49 के कि.नं 1–2–8–9 में तिरछा भारतीय रेल लाईन की भूमि को छोड़कर 16 फुट रास्ता स्वीकृत करने की मांग की मौके पर उक्त जगह प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ने अपनी जमीन से मिट्टी यहां डाल रखी है उक्त रास्ता स्वीकृत [illegible] अप्रार्थीगण को किसी तरह का नुकसान नहीं होता है प्रार्थी सं. [illegible] खेत में आने के लिए अन्य विकल्प भी नहीं है तहसीलदार [illegible] द्वारा भी रास्ता स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा की है एवं [illegible] सं. 2 के खेत में आने–जाने के लिए चक 14 एनपी के प.नं. 171/320 मु.नं. 4 के कि.नं. 3–4–5 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने पर ही अपने खेत पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.09.12 16:38:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

आवागमन किया जा सकता है प्रार्थी के पास अन्य विकल्प भी खेत में आने–जाने के लिए नहीं है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, तहसीलदार रायसिंहनगर की जांच रिर्पोट एवं स्वयं मौका निरीक्षण से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251 क आरटीएक्ट न्याय हित में स्वीकार किया जाना विधि संमत है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 स्वीकार किया जाकर चक 14 एनपी के प.नं. 171/328 मु.नं. 47 के कि.नं. 21 में दक्षिणी–पश्चिमी कोना पर 1–1 बिस्वा कोणा तिरछा तथा प.नं. 171/329 मु.नं. 49 के कि.नं 1–2–8–9 में तिरछा भारतीय रेल लाईन की भूमि को छोडकर प्रत्येक में 2–2 बिस्वा एवं इसी चक के प.नं 171/320 मु.नं. 4 के कि.नं. 4/3–4/5–5/4 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा गै. मु. खाले के पास–पास गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। अतः तहसीलदार रायसिंहनगर उक्त रास्ते में आने वाली भूमि के बदले प्रार्थी से डी.एल. सी. दर की दुगुनी राशि जमा करवाने के उपरान्त अप्रार्थीगण को भुगतान करें। ऐसा आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ रायसिंहनगर ★

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.09.12 16:38:17 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner